प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08-11-2023

विषय:- जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध 03 विचाराधीन बंदियों को अन्यत्र कारागारों में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-33073/सामा-1(5)/प्रतापगढ़/2023, दिनांक 08-11-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118, सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध निम्नलिखित विचाराधीन बंदियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि	कारागार का नाम, जहां स्थानांतरित किया जाना है
1	2	3	4
01	लवलेश तिवारी पुत्र श्री यज्ञ कुमार तिवारी	जिला कारागार, प्रतापगढ़	जिला कारागार, चित्रकूट
02	सनी उर्फ पुराने सिंह उर्फ मोहित सिंह पुत्र स्व0 जगत सिंह	जिला कारागार, प्रतापगढ़	जिला कारागार, चित्रकूट
03	अरूण कुमार मौर्या पुत्र श्री दीपक कुमार	जिला कारागार, प्रतापगढ़	जिला कारागार, चित्रकूट

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़/चित्रकूट।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़/चित्रकूट।

6- अधीक्षक, जिला कारागार, चित्रकूट/प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार, प्रतापगढ़ से जिला कारागार, चित्रकूट में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।